10/11/17 पत्रावली पेश हुई SDO पत्र फिलहाल किया जाना है विक्रेता निर्णय पुस्तक [illegible] आवेदन प्रार्थि प्रस्तावित किया गया [illegible] होकर नेआ से नाम होकर दाखिल खारिज [illegible] आवेदन [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:49:10 IST
Reason: SelfAttested

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करौली

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना (आर.ए.एस)

मु0 / न0	किस्म मुकदमा	तारीख रजू	तारीख फैसला
169 / 22	128 एलआर एक्ट	17.10.2025	10.11.2025

उनवान

1. कमलेश पुत्री रूपसिंह उम्र 28 साल
2. मिततल पुत्री रूपसिंह उम्र 29 साल
3. सजीव पुत्र रूपसिंह उम्र 25 साल
4. रीना पुत्री रूपसिंह उम्र 26 साल
5. सरोज पत्नि राजीव उम्र 30 साल
6. मनोज पुत्री बलवीर पत्नि संजीव उम्र 28 साल

जातियान गुर्जर निवासीयान रोंडकला तहसील करौली जिला करौली (राज0)

—प्रार्थीयान

बनाम

1. लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार, तहसील करौली

—अप्रार्थीयान

अभिभाषकः— 1. प्रार्थीयान—श्री नेमीचंद गर्ग, एडवोकेट

—::निर्णय::— दिनांकः—10.11.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि आराजी खसरा नम्बर 1092 रकवा 0.4026 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1093 रकवा 0.0885 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकवा 0.4931 हैक्टेयर वाके ग्राम रोंडकला पटवार हल्का रोंडकला तहसील करौली जिला करौली (राज0) प्रार्थीयान के कब्जे काश्त एवं हक, हिस्से की आराजी है जिस पर प्रार्थीयान काबिज काश्त हैं। प्रार्थीयान ने अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात की पत्थर गढी पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का गुडला से कराना चाहते है जिससे प्रार्थीगण अपनी भूमि की सुरक्षा कर सकें और किसी अन्य पडौसी खातेदारान से प्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो। प्रार्थीयान दिनांक 16.10.2025 को अपनी भूमि की मैड डोल करने व आराजीयात की सफाई करने हेतु गये तो पडौसी खातेदार व इनके परिवारजन मौके पर आ गये और झगडा—फिसाद और प्रार्थीयान को आराजी की डोल मेड नहीं करने दी और प्रार्थीयान से कहा कि पहले पत्थरगढी के आदेश तहसीलदार करौली से कराकर लाओं तभी पत्थरगढी करने देंगे और अप्रार्थीयान प्रार्थीयान से झगडा करने पर आमादा हो गये। इसलिये प्रार्थीयान को यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीयान से अप्रार्थीगण सीमा विवाद बताकर प्रार्थीयान की आराजी की डौल मेड नहीं करने दे रहे हैं जिससे प्रार्थीयान उक्त आराजी में फसल काश्त कर लाभ से वंचित हो रहे हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem
Date: 2026.04.22 14:49
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

इसलिये अपनी उक्त आराजी की पत्थरगढी प्रार्थीयान कराने के अधिकारी है। अंत में पत्थरगढी कराये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना–पत्र वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। गैरसायल को जारी नोटिस बाद तामील रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। तहसीलदार, करौली स्वंय उपस्थित आये और जवाब प्रस्तुत नहीं करते हुए सीधी बहस किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थीयान का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नम्बर 1092 रकवा 0.4026 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1093 रकवा 0.0885 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकवा 0.4931 हैक्टेयर वाके ग्राम रोंडकला पटवार हल्का रोंडकला तहसील करौली जिला करौली की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया है।

तहसीलदार, करौली का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नम्बर 1092 रकवा 0.4026 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1093 रकवा 0.0885 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकवा 0.4931 हैक्टेयर वाके ग्राम रोंडकला पटवार हल्का रोंडकला तहसील करौली जिला करौली की पत्थरगढी की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी व तहसीलदार, करौली की बहस सुनी गई एवं बहस का मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि विवादित आराजी भूमि के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण न्यायहित में स्वीकार योग्य प्राप्त होता है।

–::आदेश::–

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम रोंडकला पटवार हल्का रोंड़कला तहसील करौली व जिला करौली में उसके खाते की कृषि भूमि के आराजी खसरा नम्बर 1092 रकवा 0.4026 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1093 रकवा 0.0885 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकवा 0.4931 हैक्टेयर वाके ग्राम रोंडकला पटवार हल्का रोंडकला तहसील करौली जिला करौली भूमि की पत्थरगढ़ी, बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए तहसीलदार, करौली को 1000/–रूपये फीस पर कमिशनर नियुक्त किया जाता है। कमिशनर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। तहसीलदार, करौली सभी पडौसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र के समय एवं तिथि सूचित करेंगे। मौके पर खडी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की [illegible] मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर सीमांकन कर पत्थरगढी किऐ जाने के आदेश प्रदान [illegible] जाते है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार, करौली को भिजवाई जावे। खर्चा [illegible] अपना–अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem R
Date: 2026.04.22 14:49:10
Reason: SelfAttested